निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,

23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांकः 181927/ नि0वि0ले0/ए0ए0ओ0 स्था0–2025/ई0–4419/2022 दिनांकः 10 जून, 2025।

कार्यालय–ज्ञाप /स्थानान्तरण आदेश

''उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017'' एवं शासनादेश संख्या 30/XXX–2/2018–30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 में दिये गए मानक व दिशानिर्देश, तथा शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में निदेशालय विभागीय लेखा के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा **वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा– 7 (सुगम से दुर्गम, में अनिवार्य स्थानान्तरण), धारा– 10 (दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण) तथा धारा– 13 (अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण) के अधीन** दिनांक 05, जून, 2025 को दी गयी संस्तुति के अनुसार विभिन्न विभागों/कार्यालयों में तैनात निम्नलिखित तालिका के कालम–2 में अंकित सहायक लेखाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख वर्तमान तैनाती के स्थान, कालम–3 से स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती के स्थान, कालम –4 पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है–

क्र.सं.	सहायक लेखाधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थान/कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री साब सिंह	निदेशालय शहरी विकास विभाग , उत्तराखण्ड, देहरादून।	कार्यालय वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग।	सुगम से दुर्गम धारा 17–1(क) के अधीन
2.	रवीन्द्र कुमार	कार्यालय संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।	कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।	सुगम से दुर्गम धारा 17–1(क) के अधीन
3.	उमेद सिंह डांगी	वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर।	कार्यालय उप निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।	सुगम से दुर्गम धारा 17–1(क) के अधीन
4.	हेमपाल तड़ागी	कार्यालय संयुक्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण कुमायूं मण्डल, भवाली, नैनीताल।	कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, बागेश्वर।	सुगम से दुर्गम धारा 17–1(क) के अधीन
5.	गिरीश लाल	कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र नैनीताल।	कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, पिथौरागढ़।	सुगम से दुर्गम धारा 17–1(क) के अधीन
6.	देवसिंह सेलाल	कार्यालय पर्यटन विकास परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।	कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।	सुगम से दुर्गम धारा 17–1(क) के अधीन
7.	सुधांशु श्रीवास्तव	कार्यालय सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, (खाद्य) कुमायूं सम्भाग, हल्द्वानी।	कार्यालय जिला परियोजना, अधिकारी, समग्र शिक्षा, चमोली।	सुगम से दुर्गम धारा 17–1(क) के अधीन
8.	कमल किशोर उप्रेती	कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल।	कार्यालय अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।	सुगम से दुर्गम धारा 17–1(क) के अधीन

9.	रमेश सिंह	कार्यालय परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।	कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।	सुगम से दुर्गम धारा 17–1(क) के अधीन
10.	प्रमेश कुमार	निदेशालय संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।	राजकीय आयुर्वेद कालेज एवं चिकित्सालय, ऋषिकुल, हरिद्वार।	अनुरोध के आधार पर धारा–17 उपधारा–1(ख)(चार) के अनुसार
11.	रामेश्वर सिंह पंवार	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।	निदेशालय आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाऐं उत्तराखण्ड, देहरादून	अनुरोध के आधार पर धारा–17 उपधारा–1(ख)(एक) के अनुसार
12.	श्री मोहन लाल	कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी	दुर्गम से सुगम धारा–17–1(ग) के अधीन
13.	ललित मोहन आर्य	कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, बागेश्वर।	वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, ऊधमसिंहनगर	दुर्गम से सुगम धारा–17–1(ग) के अधीन

1– इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय **(छायाप्रति संलग्न)।**

2– अधिनियम में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त होने व 10 दिनों के भीतर नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक इस निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर अधिनियम की धारा–22 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सम्बन्धित विभागों व कोषागारों से अनुरोध है कि आदेश निर्गत होने के सात दिन पश्चात् कार्यमुक्त नहीं होने के दशा में सम्बन्धित कार्मिक के वेतन का आहरण न किया जाय।

4– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

Digitally signed by Ganga Prasad Date: 10-06-2025 18:10:39

(गंगा प्रसाद),
निदेशक।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
6. सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारीगणों के सूचनार्थ विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।

ह0/–
(गंगा प्रसाद),
निदेशक।

संख्याः 1/289938 /XXX(2)/2025 E-33080

प्रेषक,

ललित मोहन रयाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 15 अप्रैल, 2025**

विषयः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत कार्मिकों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने [illegible] उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में निम्नलिखित निर्णय लिये गए हैं:–

1. वर्तमान स्थानांतरण सत्र, 2025–26 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में अनिवार्य स्थानांतरण के अंतर्गत पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को समाप्त करते हुए विभागों द्वारा वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के आलोक में स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
2. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में उतनी संख्या में ही स्थानांतरण किये जायेंगे, जितने सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में होंगे। स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये जायेंगे और दुर्गम क्षेत्र से स्थानांतरित कार्मिक को तभी कार्यमुक्त किया जायेगा, जब उसका प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यस्थल पर उपस्थित हो जाये, ताकि दुर्गम एवं सुगम क्षेत्रों में कार्मिकों की संख्या में परस्पर संतुलन बना रहे।
3. एकल अभिभावक (विधवा/विधुर) एवं शहीदों/बलिदानियों की विधवाओं को अनिवार्य स्थानांतरण/पदोन्नति के फलस्वरूप दुर्गम क्षेत्र में तैनाती से छूट प्रदान की जायेगी।
4. दाम्पत्य नीति की श्रेणी में आने वाले कार्मिकों का स्थानांतरण करते समय वरिष्ठता/वेतनमान, दुर्गम में की गई सेवा एवं रिक्ति की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जायेगा।
5. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरणों हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

File No. PVD2-AR/SR/6/2022-XXX-2-Personnel and Vigilance Department-Part(1) (Computer No. 33080)
Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 15/04/2025 06:03 PM

2— कृपया उपरोक्त के सन्दर्भ में स्थानान्तरण सत्र 2025–26 हेतु लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय–सारणी का अनुपालन करते हुए स्थानान्तरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by Lalit Mohan Rayal
Date: 15-04-2025 16:46:26

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

संख्या: (1)/XXX(2)/2025 E-33080, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
4. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Alok Kumar Singh
Date: 15-04-2025 16:57:03

(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव।